प्रथम सूचना रिपोर्ट
(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1.जिला –चौकी ए0सी0बी0 कोटा **थाना**–प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र0नि0ब्यूरो जयपुर
प्र0सू0रि0संख्या ......77/2022 **दिनांक**....09/03/2022
2.(।) **अधिनियम**–भ्र0नि0अधि0..**धारायें**– 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018
(i) 'अधिनियम...भा.द.स......'धाराये–................................
(ii) 'अधिनियम..................................'धारायें....................
(iii)'अन्य अधिनियम धारायें...
3.(अ)रोजनामचाआमरपट संख्या.......................181..........समय.....6.00 P.M.
(ब)अपराध घटने का' दिन 28.11.2021
(स) **थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक** 28.11.2021 समय 11.00 ए.एम.
4. **सूचना की किस्म लिखित/मौखिक**– लिखित
5. **घटनास्थलः**– थाना गेण्डोली, बून्दी
(अ) **पुलिस थाना से दिशा व दूरीः**– उत्तर पश्चिम 51 कि.मी.
(ब) पता– थाना गेण्डोली, बून्दी ....बीट संख्या........जरायम देही संख्या............
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना..जिला ....
6.परिवादी/सूचनाकर्ता :–
(अ) नामः– श्री लालचन्द
(ब) पिता का नाम – श्री कालूराम जोगी
(स) जन्म तिथि/ वर्ष 34वर्ष
(द) राष्ट्रीयता.–भारतीय
(य) पासपोर्ट संख्या...................जारी होने की तिथि...........जारी होने की जगह.........
(र) व्यवसाय– संविदाकर्मी
(ल) पता–खाटकलॉ थाना सुरवाल तहसील/ जिला सवाईमाधोपुर
7. **ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्योरा सम्पूर्ण विशिष्ठियों सहित :–**
श्री धनसिह बंजारा, ए0एस0आई0 थाना गेण्डोली, बून्दी

8.परिवादी/सूचनाकर्ता द्वाराइत्तलादेने मे विलम्ब का कारणः– शून्य
9.चुराई हुई लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये).......
10.चुराई हुई/लिप्त सम्पत्तियों का कुल मूल्य– 8,000रू
11. पंचनामा/यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो)..................................
12. विषयवस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) :–

महोदय, प्रकरण के हालात इस प्रकार है कि दिनांक 28.11.2021 को मन् पुलिस निरीक्षक नरेश चौहान को श्री ठाकुर चन्द्रशील कुमार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसीबी कोटा द्वारा उनके कक्ष मे बुलाकर उनके पास उपस्थित परिवादी श्री लालचन्द पुत्र कालूराम जोगी उम्र 34 वर्ष जाति जोगी (नाथ) निवासी खाटकलॉ थाना सुरवाल तहसील/ जिला सवाईमाधोपुर से मेरा आपसी परिचय करवाया तथा परिवादी द्वारा उन्हे पेश हस्तलिखित प्रार्थना पत्र मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द कर अग्रिम कार्यवाही करने के निर्देश दिये। मन् पुलिस निरीक्षक मय परिवादी श्री लालचंद मय प्रार्थना पत्र श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसीबी कोटा के निर्देशानुसार परिवादी श्री लालचंद के प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया तो प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा लिखना बताया जो इस आशय का है कि "मै लालचन्द जोगी पुत्र कालूराम जोगी उम्र 34 वर्ष जाति नाथ निवासी खाटकलॉ थाना सुरवाल तहसील/ जिला सवाईमाधोपुर का रहने वाला हूँ। मेरे सुसुर श्री नाथूलाल योगी पुत्र हजारीलाल योगी (ग्राम विकास अधिकारी) नोताडा धरावत पंचायत समिति केशोरायपाटन जिला बून्दी मे कार्यरत थें। जिनकी कोरोना के तहत दिनांक 30.04.2021 को मेरे पास सामान्य चिकित्सालय सवाईमाधोपुर मे मृत्यु हो गई है और मेरी सास मोहर बाई की दिमागी हालत ठीक नही रहती है मेरे ससुर के बाद मेरी सास मोहर बाई की दिमागी हालत ओर ज्यादा खराब है। मेरी पत्नि हेमलता योगी मेरे सुसराल की सबसे बडी सदस्य है। इसलिये सुसराल संबंधित कार्य मैं ओर मेरी पत्नि हेमलेता देखती है ओर मेरी पत्नि से छोटे तीन साले है महेश कुमार योगी, लोकेश योगी, रणजीत योगी है। जिसमे से मेरे बडे साले महेश योगी ने मेरे ससुर की

मृत्यु के बाद मेरे सुसुर के खाते से लगभग दो लाख रूपये तथा मेरी सास मोहर बाई के खाते से लगभग चार लाख रूपये ऑनलाईन निकाल लिये। जो मेरे बडे साले महेश ने चालाकी व बदनियति से 6 लाख रूपये के लगभग पैसे ऑन लाईन स्वयं महेश योगी ने खाते मे ट्रांसफर कर लियें। जिसकी सूचना मेरी पत्नि को मेरे दोनो छोटे साले लोकेश व रणजीत ने बताया। जिसकी सूचना मेरी पत्नि हेमलता व छोटे साले लोकेश व रणजीत ने दिनांक 28.07.2021 को थाना गेण्डोली को दी तो मेरे बडे साले महेश पर पुलिस ने कोई कार्यवाही नही की गई उसके बाद मेरी पत्नि हेमलता व छोटे साले लोकेश व रणजीत ने न्यायायल बून्दी से खाते मे लेनदेन बंद करवा दी। उसी के आवेश मे आकर मेरे बडे साले महेश योगी ने उसकी पत्नि मौसमी बाई से मारपीट व छेडछाड की झूंठी रिपोर्ट थाना गेण्डोली मे दी जिस पर दिनांक 30.09.2021 को ए0एस0आई0 धनसिह बंजारा थाना गेण्डोली ने पारिवारिक मामला होने से हमारे बीच राजीनामा करवा दिया किन्तु मेरे बडे साले महेश योगी ने कोर्ट से मेरे खिलाफ उसकी पत्नि मौसमी बाई से मारपीट व छेडछाड करने का मुकदमा थाना गेण्डोली मे दर्ज करवा दिया जिसकी जांच धनसिह बंजारा ए0एस0आई0 कर रहा है। ए0एस0आई0 धनसिह बंजारा मुझे उक्त झूंठे मुकदमे में राहत देने की एवज मे मुझसे 20000/– रूपये की बार बार मांग कर रहा है। मेरे द्वारा 20000/– रूपये नही देने पर मुझे थाने पर बुलाकर बन्द करने की धमकी दे रहा है जबकि मेरे साले ने उसकी पत्नि से झूंठा मुकदमा दर्ज करवाया है। मैं एएसआई धनसिह बंजारा को (थाना गेण्डोली जिला बून्दी) को रिश्वत राशि 20000/–रूपये अक्षरे बीस हजार रूपये नही देकर उसको रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूँ। मेरी एएसआई धनसिह बंजारा से कोई उधार व लेनदेन बाकि नही है ना हि कोई दुश्मनी है। अतः महोदय से निवेदन है कि एएसआई धनसिह बंजारा पर कार्यवाही करने की कृपा करे।

परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र व मजीद दरयाप्त से मामला रिश्वत मांग का होने एवं भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की परिधी में आना पाया जाने से रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक है। इस पर परिवादी श्री लालचन्द का परिचय श्री भरत सिह कानि0 515 से करवाया गया तथा मालखाने से डिजीटल वाईस रिकार्डर निकलवाया जाकर, परिवादी को चालू व बन्द करने की विधि समझाई तथा आरोपी से अपने कार्य व रिश्वत राशि की मांग के संबंध मे स्पष्ट वार्ता करने तथा उक्त आरोपी धन सिह बंजारा सहायक उप निरीक्षक से होने वाली वार्ता को डिजीटल वाईस रिकार्डर मे रिकार्ड करने की समझाईश की। इस पर परिवादी ने बताया कि मुझे उक्त आरोपी धनसिह बंजारा ने दिनांक 30.11.2021 को थाना गेण्डोली पर बुलाया है मैं दिनांक 30.11.2021 को सीधा थाना गेण्डोली जिला बून्दी पर आ जाउंगा, आप श्री भरत सिह जी को डिजीटल वाईस रिकार्डर लेकर ग्राम गेण्डोली भेज देना। इस पर भरत सिह को उक्त दिनांक को डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड लेकर परिवादी श्री लालचंद से सम्पर्क कर परिवादी के बताये स्थान पर पहुंचने हेतु पाबन्द किया गया। परिवादी श्री लालचन्द को गोपनीयता बनाये रखने तथा उक्त दिनांक 30.11.2021 को सीधे ही थाना गेण्डोली जिला बून्दी के आसपास मिलने के आवश्यक निर्देश देकर रूकसत किया गया। भरत सिह कानि0 515 को कार्यालय के मालखाने से डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड सुपुर्द कर परिवादी श्री लालचन्द से सम्पर्क करके उसके बताये स्थान पर पहुंचकर, परिवादी को पुनः डिजीटल वाईस रिकार्डर चालू व बंद करने की विधि समझाकर आरोपी धनसिह बंजारा सहायक उप निरीक्षक थाना गेण्डोली के पास रिश्वत संबंधी वार्ता करने के निर्देश दिये गये। जिसकी फर्द सुपुर्दगी पृथक से मुर्तिब की जाकर शामिल पत्रावली की गयी। श्री भरत सिह कानि0 515 को डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के कार्यालय हाजा से थाना गेण्डोली जिला बून्दी के लिये रवाना किया गया। श्री भरत सिंह कानि. 515 मय डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के वापस कार्यालय हाजा उपस्थित आया। श्री भरत सिह कानि0 515 ने मन् पुलिस निरीक्षक नरेश चौहान को सरकारी डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड सोनी कम्पनी का पेश किया तथा बताया कि आज परिवादी श्री लालचंद व उनकी पत्नि हेमलता मुझे थाना गेण्डोली जिला बून्दी से कुछ दूरी पहले ही मिल गये थें। मैने परिवादी श्री लालचंद को डिजीटल वाईस रिकार्डर चालू व बंद करने की विधि समझाकर डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के आरोपी से रिश्वत मांग सत्यापन संबंधी वार्ता रिकार्ड करने हेतु सुपुर्द कर दिया था। परिवादी श्री लालचंद मय उनकी पत्नि हेमलता के डिजीटल वाईस रिकार्डर चालू करके थाना गेण्डोली जिला बून्दी के अन्दर चले गये थें। मै थाने के आस पास अपनी उपस्थिति छुपाते हुऐ मुकिम हो गया था। थोडी देर बाद परिवादी लालचंद मेरे पास आया ओर उसने डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड बंद हालत में मुझे देकर बताया कि मैं थाने के अन्दर गया था लेकिन वंहा मुझे धनसिह बंजारा सहायक उप निरीक्षक नहीं मिला जिस पर मैने उनके फोन लगाकर बात की तो उन्होने कहा कि मैं तो बून्दी आ गया हूं बाद में आ जाना मैने कहा फिर टाइम नहीं मिलेगा तो उन्होने कहा की मैं बुला लूंगा आज थाने पर कोई नहीं हैं मैं बून्दी आ गया हूं तथा बुधराम भी वंहा नहीं हैं तथा थानेदार जी भी नहीं हैं इसलिए बाद में आ जाना इत्यादि वार्ता होने के बाद में मैने रिकॉर्डर बन्द कर दिया था तथा रवाना होकर आपके पास आ गया। फर्द प्राप्ति डिजीटल वाईस रिकार्डर पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। दिनांक 02.12.2021 को परिवादी के कहे अनुसार पुनः श्री भरत सिह कानि0 515 को कार्यालय के मालखाने से डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड सुपुर्द कर

परिवादी श्री लालचन्द से सम्पर्क करके उसके बताये स्थान पर पहुंचकर, परिवादी को पुनः डिजीटल वाईस रिकार्डर चालू व बंद करने की विधि समझाकर आरोपी धनसिह बंजारा सहायक उप निरीक्षक थाना गेण्डोली के पास रिश्वत संबंधी वार्ता करने के निर्देश दिये गये। जिसकी फर्द सुपुर्दगी पृथक से मुर्तिब की जाकर शामिल पत्रावली की गयी। श्री भरत सिह कानि0 515 को डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के कार्यालय हाजा से थाना गेण्डोली जिला बून्दी के लिये रवाना किया गया। श्री भरत सिंह कानि. 515 मय डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के वापस कार्यालय हाजा उपस्थित आया। श्री भरत सिह कानि0 515 ने मन् पुलिस निरीक्षक नरेश चौहान को सरकारी डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड सोनी कम्पनी का पेश किया तथा बताया कि आज परिवादी श्री लालचंद व उनकी पत्नि हेमलता मुझे थाना गेण्डोली जिला बून्दी से कुछ दूरी पहले ही मिल गये थें। मैने परिवादी श्री लालचंद को डिजीटल वाईस रिकार्डर चालू व बंद करने की विधि समझाकर डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के आरोपी से रिश्वत मांग सत्यापन संबधी वार्ता रिकार्ड करने हेतु सुपुर्द कर दिया था। परिवादी श्री लालचंद मय उनकी पत्नि हेमलता के डिजीटल वाईस रिकार्डर चालू करके थाना गेण्डोली जिला बून्दी के अन्दर चले गये थें। मै थाने के आस पास अपनी उपस्थिति छुपाते हुऐ मुकिम हो गया था। काफी देर प्रतीक्षा करने के बाद परिवादी लालचंद मेरे पास आया ओर उसने डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड बंद करके मुझे देकर बताया कि मेरी धनसिह बंजारा सहायक उप निरीक्षक थाना गेण्डोली जिला बून्दी से मेरे मुकदमे से संबंधित बात हो गयी है ओर धन सिह बंजारा सहायक उप निरीक्षक ने मुझसे पांच हजार रूपये भी ले लिये है ओर दस हजार रूपये ओर लेकर चार पांच दिन मे वापस बुलाया है ओर परिवादी ने यह भी बताया कि हमारे बीच जो भी बात हुई है वो सब आपके ऑफिस के डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड मे रिकार्ड हो गयी है। रात्रि अधिक होने तथा घर पर बच्चे अकेले होने से परिवादी श्री लालचंद कार्यालय हाजा उपस्थित नही आ सके। फर्द प्राप्ति डिजीटल वाईस रिकार्डर पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। ट्रैप कार्यवाही आगामी चार पांच दिन मे की जानी है। इस पर डिजीटल वॉइस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड को सुरक्षित मालखाने मे रखवाया गया। उक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट पृथक से तैयार की जावेगी। दिनांक 06.12.2021 को परिवादी श्री लालचंद ने बताया कि मेरे मोबाईल नम्बर 8949298791 पर धनसिह बंजारा सहायक उप निरीक्षक थाना गेण्डोली जिला बून्दी के मोबाईल नम्बर 9950742506 से कॉल आया था ओर वह मुझे थाने पर मुकदमे से संबंधित कुछ कागजात व शेष रही रिश्वत राशि दस हजार रूपये लेकर बुला रहे है। मैं कल आपके कार्यालय मे आरोपी श्री धन सिह बंजारा सहायक उप निरीक्षक थाना गेण्डोली को देने के लिये रिश्वत राशि लेकर सुबह जल्दी उपस्थित हो जांउगा। ट्रेप कार्यवाही कल दिनांक 07.12.2021 को होने के कारण श्री बृजराज कानि0 158 को एक तहरीर कार्यालय उप वन संरक्षक कोटा के नाम देकर कल होने वाली कार्यवाही के लिये दो स्वतंत्र गवाहान को दिनांक 07.12.2021 प्रातः 7.00 एएम पर कार्यालय हाजा उपस्थित आने हेतु पाबन्द करके आने हेतु रवाना किया गया। श्री बृजराज कानि0 158 ने वापस आकर बताया कि कार्यालय उप वन संरक्षक कोटा दो स्वतंत्र गवाहान 1. निरंजन कुमार कनिष्ठ सहायक व 2. श्री जाकिर हुसैन कनिष्ठ सहायक को दिनांक 07.12.2021 प्रातः 7.00 एएम पर कार्यालय हाजा उपस्थित आने हेतु पाबन्द कर दिया गया है। दिनांक 07.12.2021 को प्रातः 07.00 बजे परिवादी श्री लालचंद मय रिश्वत राशि 8000/– रूपये लेकर कार्यालय हाजा उपस्थित आया ओर उसने बताया कि मेरे से आठ हजार रूपये की व्यवस्था हो पायी है। मैं आरोपी धनसिह बंजारा सहायक उप निरीक्षक थाना गेण्डोली का आठ हजार रूपये दे दूंगा वो मान जायेगें। नियत समय पर कार्यालय उप वन संरक्षक कोटा द्वारा दो कार्मिक 1– श्री जाकिर हुसैन पुत्र श्री सलीम मोहम्मद जाति मुसलमान उम्र 30 साल निवासी–बडौद तहसील दीगोद जिला कोटा हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय, उप वन सरंक्षक कोटा। मोबाईल नम्बर –9358499319 व 2. श्री निरंजन कुमार पुत्र श्री रामप्रसाद जाति माली उम्र 24 साल निवासी– मण्डावरा दीगोद कोटा हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय, उप वन सरंक्षक कोटा। मोबाईल नम्बर –9694543825 कार्यालय हाजा उपस्थित आयें। इसके बाद उक्त स्वतंत्र गवाहान का परिवादी श्री लालचंद सें आपसी परिचय करवाया गया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दोनो गवाहान को पढ़कर सुनाया गया तथा होने वाली ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह साथ रहने की सहमति चाहने पर दोनो गवाहान ने अपनी–अपनी सहमति व्यक्त की। तत्पश्चात् दोनों गवाहान ने परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को पढ़कर उस पर अपने–अपने हस्ताक्षर किये। परिवादी श्री लालचंद व दोनों गवाहान के समक्ष कार्यालय के सरकारी डिजीटल वॉईस रिकार्डर मय मेमोरी से उसमें रिकार्ड दिनांक 02.12.2021 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता जो परिवादी श्री लालचंद, परिवादी की पत्नि हेमलता व आरोपी धन सिह बंजारा सहायक उप निरीक्षक थाना गेण्डोली जिला बून्दी के मध्य हुई थी जिसे डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया था। उक्त वार्ता को कार्यालय के लेपटॉप में श्री भरत सिह कानि. 515 के द्वारा लिवाया जाकर लेपटॉप के स्पीकर चालू कर वार्ता को परिवादी व दोनों गवाहान को सुनाया जाकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट नियमानुसार तैयार करवाई गई। उक्त वार्ता की फर्द तैयार की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री लालचन्द जोगी पुत्र कालूराम जोगी उम्र 34 वर्ष जाति नाथ निवासी खाटकलॉ थाना सुरवाल तहसील/ जिला सवाईमाधोपुर ने अपने पास से निकाल कर पांच–पांच

सौ रूपये के सोलह नोट कुल 8,000/—रूपये मन् पुलिस निरीक्षक नरेश चौहान को पेश किये, जिनकी फर्द पेशकशी नियमानुसार तैयार कर शामिल पत्रावली की गई । श्रीमति सरोज महिला कानि. 104से मालखाना से फिनोंफ्थलीन पावडर की शीशी निकलवा कर उक्त नोटों को एक अखबार के ऊपर रखकर उन पर सावधानी पूर्वक फिनोफथलीन पावडर लगवाया गया ताकि पावडर की उपस्थिति प्रभावी किन्तु अदृश्य रहे। परिवादी लालचन्द की तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री निरंजन कुमार से लिवाई गई। परिवादी लालचन्द के पास उसके पहने हुए वस्त्रों एवं मोबाईल के अलावा अन्य कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। रिश्वत में दिये जाने वाले पाउडर लगे हुये 8,000 हजार रूपये परिवादी के पहनी हुई पेन्ट की सामने की दांयी जेब मे श्रीमति सरोज महिला कानि. 104 से रखवाये गये। इसके बाद एक काँच के गिलास में साफ पानी मंगवा कर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेंट पावडर डाल कर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग रंगहीन रहा। उक्त रंगहीन घोल में श्रीमति सरोज महिला कानि. 104 के हाथ की उंगलियों को डालकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रक्रिया व दृष्टांत को गवाहान् एवम् परिवादी को समझाया गया कि संदिग्ध व्यक्ति इन नोंटों को अपने हाथ से ग्रहण करेगा या छुयेगा तो उसके हाथ सोडियम कार्बोनेंट के घोल में धुलवाने पर घोल का रंग गुलाबी हो जायेगा। जिस अखबार पर रखकर रिश्वत में दी जाने वाली राशि/नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया था उस अखबार को जलाकर नष्ट करवाया गया व घोल को बाहर फिंकवाया गया। फिनोफ्थलीन पावडर की शीशी वापस मालखाने में रखवायी गई, दृष्टांत की कार्यवाही मे प्रयुक्त किया गया गिलास कार्यालय मे ही छोडा गया श्रीमति सरोज महिला कानि. 104 को कार्यालय मे उपस्थित रहने की हिदायत दी। ट्रेप कार्यवाही में काम में आने वाले गिलास व शीशियों को साबुन व पानी से अच्छी तरह धुलवाये गये। परिवादी लालचन्द को हिदायत दी गई कि उक्त नोटों को रास्ते में अनावश्यक रूप से नहीं छुवे एवं आरोपी द्वारा मांगने पर ही रिश्वत राशि देवें तथा रिश्वत राशि व स्वयं के कार्य के संबंध मे स्पष्ट वार्ता करे तथा रिश्वत देने के बाद अपने सिर पर दोनो हाथ फेर कर इशारा करे। दोनो स्वतंत्र गवाहान को भी समझाया गया की रिश्वत के लेन देन को यथा संभव निकट रहकर देखने व सुनने का प्रयास करें। डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड परिवादी लालचन्द को दिया जाकर चालू व बंद करने का तरीका पुनः समझाया गया तथा रिश्वत के लेनदेन की वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु समझाईश दी। एक प्राईवेट कार से मन् पुलिस निरीक्षक नरेश चौहान, परिवादी श्री लालचंद, जाप्ता श्री नरेन्द्र सिहं कानि. 305, श्री भरत सिह कानि0 515, श्री मनोज कुमार कानि0 211, श्री बृजराज सिह कानि0 159 स्वतंत्र गवाह श्री निरंजन कुमार एंव श्री जाकिर हुसैन मय लेपटॉप, प्रिन्टर ट्रेप बॉक्स व अन्य आवश्यक सामग्री के, सरकारी बोलेरो से इमदाद हेतु श्री हर्षराज सिह खरेडा उप अधीक्षक पुलिस मय जाप्ता श्री दिलीप सिह व0लि0, श्री योगेन्द्र सिह कानि0 282 मय चालक हेमन्त सिह 653 के कार्यालय से कस्बा गेण्डोली जिला बून्दी राजस्थान के लिये रवाना हुये। श्रीमति सरोज म0कानि0 104 को कार्यालय में ही छोड़ा गया। मन् पुलिस निरीक्षक मय परिवादी मय गवाहान मय जाब्ते के थाना गेण्डोली जिला बून्दी के पास पहुंचकर परिवादी श्री लालचंद सें डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के चालु करवाकर आरोपी धनसिह बंजारा सहायक उप निरीक्षक के पास थाना गेण्डोली मे रवाना किया। मन् पुलिस निरीक्षक मय जाप्ता मय गवाहान के थाना परिसर के आस पास अपनी अपनी उपस्थिति छुपाते हुऐ परिवादी के पूर्व निर्धारित इशारे के इन्तजार में मुकिम हुये। दूसरी टीम को भी थाना गेण्डोली से दूर ही मुकिम किया। परिवादी श्री लालचंद मन् पुलिस निरीक्षक की तरफ बिना ईशारा किये हुऐ आया। परिवादी से डिजीटल वाईस रिकार्डर ले कर बन्द किया । परिवादी ने बताया कि आरोपी धनसिह बंजारा सहायक उप निरीक्षक थाना गेण्डोली पर नही है जिसको मैने मेरे मोबाईल नम्बर 8949298791 से उसके मोबाईल नम्बर 9950742506 पर कॉल किया तो उन्होने ईलाके में होना बताया ओर कहा मुझे थाने पर आने मे लगभग एक घंटा लगेगा। इस पर परिवादी को वही थाने के आस पास रहकर इंतजार करने तथा आरोपी के आने पर डिजीटल वाईस रिकार्डर चालू करके उसके पास जाने तथा मन् पुलिस निरीक्षक को तुरंत सूचित करने के आवश्यक निर्देश देकर मन् पुलिस निरीक्षक भी अपनी टीम की उपस्थिति छुपाते हुऐ परिवादी के कॉल के इंतजार मे मुकिम हुआ। शाम के समय परिवादी लालचंद ने जर्ये मोबाईल कॉल करके बताया कि मैने मेरे मोबाईल नम्बर 8949298791 से आरोपी धनसिह बंजारा सउनि के मोबाईल नम्बर 9950742506 पर कॉल किया तो उन्होने कहा मुझे थाने पर आने मे लगभग एक घंटा ओर लगेगा मै अतिक्रमण हटाने रलायता गांव की तरफ आया हुआ हूँ। इस पर परिवादी को वही थाने के आस पास रहकर इंतजार करने तथा आरोपी के आने पर डिजीटल वाईस रिकार्डर चालू करके उसके पास जाने तथा मन् पुलिस निरीक्षक को तुरंत सूचित करने के आवश्यक निर्देश देकर मन् पुलिस निरीक्षक भी अपनी टीम की उपस्थिति छुपाते हुऐ परिवादी के कॉल के इंतजार मे मुकिम हुआ। कुछ समय बाद परिवादी लालचंद मन् पुलिस निरीक्षक के पास आया ओर उसने कहा कि धन सिह बंजारा सहायक उप निरीक्षक को आने मे कितना भी समय लग सकता है ओर अब उनका कॉल भी नही लग रहा है रात्रि का समय होता जा रहा है मेरे घर पर बच्चे अकेले है इसलिये मेरा घर जाना भी आवश्यक है। अतः धन सिह बंजारा सहायक उप निरीक्षक का कॉल मेरे पास आयेगा तो मै बोल दूंगा दो तीन दिन बाद दुबारा आ जाउंगा वो मान जायेगें। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक से हमराह स्वतंत्र गवाह श्री निरंजन से परिवादी की जेब मे रखी रिश्वत राशि

निकलवाकर सफेद लिफाफे मे रखकर सुरक्षित रखवायी गयी तथा डिजीटल वाईस रिकार्डर लेकर अपने पास सुरिक्षत रखा। परिवादी ने बताया कि आप मुझे केशोरायपाटन छोड देना मुझे वहां से ट्रैन मिल जायेगी। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय जाप्ता मय परिवादी मय गवाहान मय ट्रैप सामग्री के कार्यालय हाजा के लिये रवाना हुआ। दूसरी टीम को भी कार्यालय हाजा के लिये रवाना किया। केशोरायपाटन परिवादी श्री लालचंद को आवश्यक हिदायत कर रूकसत किया ओर वहां से कार्यालय हाजा के लिये रवाना हुआ। मन् पुलिस निरीक्षक मय गवाहान मय ट्रैप सामग्री के कार्यालय हाजा पहुंचा। गवाह के पास सुरक्षित रखी रिश्वत राशि व डिजीटल वाईस रिकार्डर को सुरक्षित मालखाने मे रखवाया तथा गवाहान को आवश्यक हिदायत कर रूकसत किया। दिनांक 09.12.2021 समय 04.30 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक को परिवादी श्री लालचंद ने जर्ये मोबाईल बताया कि मेरी एएसाई धनसिह बंजारा से बात हुई वो मुझे कल दिनांक 10.12.2021 को थाना गेण्डोली पर बुला रहे है। इस पर मैं आपको कल दिनांक 10.12.2021 को समय करीब 11.00 बजे थाना गेण्डोली के आस पास मिल जांउगा। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने पूर्व के पाबन्दशुदा गवाहान को कल दिनांक 10.12.2021 समय 9.00 एएम पर ट्रैप कार्यवाही हेतु कार्यालय हाजा उपस्थित आने हेतु पाबन्द किया गया। दिनांक 10.12.2021 को नियत समय पर ट्रैप कार्यवाही के पूर्व के पाबन्दशुदा गवाहा श्री निरजंन व जाकिर हुसैन तथा स्टॉफ कार्यालय हाजा उपस्थित आया। इस पर मालखाने मे रखी हुई रिश्वत राशि का लिफाफा व डिजीटल वाईस रिकार्डर गवाह श्री निरंजन से निकलवाकर परिवादी को सुपुर्द करने के लिये अपने पास सुरक्षित रखवाया गया तथा मन् पुलिस निरीक्षक नरेश चौहान मय स्वतंत्र गवाह श्री निरंजन, श्री जाकिर हुसैन तथा जाप्ता श्री बृजराज सिह कानि0 159, श्री मुकेश सैनी कानि0 71, श्री नरेन्द्र सिह कानि0 305 मय ट्रैप सामग्री मय ट्रैप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर, आवश्यक सामग्री के प्राईवेट वाहन से गेण्डोली के लिये रवाना हुआ। मन् पुलिस निरीक्षक मय जाप्ता मय गवाहान मय सामग्री के कस्बा गेण्डोली के बाहर लाखेरी की तरफ परिवादी से हुई वार्तानुसार बालाजी के मंदिर के पास पहुंचा जहां पर परिवादी श्री लालचंद उपस्थित मिला जिसने आरोपी से दिनांक 09.01.2021 को दूरभाष पर हुई वार्ता के बारे में बताया। इस पर परिवादी लालचन्द की तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री निरंजन कुमार से लिवाई गई। परिवादी लालचन्द के पास उसके पहने हुए वस्त्रों एवं मोबाईल के अलावा अन्य कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। रिश्वत में दिये जाने वाले पाउडर लगे हुये 8,000 हजार रूपये सफेद लिफाफे में से निकलवा कर परिवादी के पहनी हुई पेन्ट की सामने की दांयी जेब में स्वतंत्र गवाह श्री निरंजन कुमार से रखवाये गये। मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री लालचंद से आरोपी श्री धनसिंह, सहायक पुलिस निरीक्षक थाना गेण्डोली को मोबाइल पर बात करवाई तो आरोपी श्री धनसिंह ने स्वयं का बून्दी जाना बताया । जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट पृथक से मुर्तिब की जाकर शामिल पत्रावली की गयी। मन् पुलिस निरीक्षक मय जाप्ता मय गवाहान के थाना परिसर के आस पास अपनी अपनी उपस्थिति छुपाते हुऐ आरोपी के आने के इन्तजार में मुकिम हुये। शाम को 04.10 पर मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री लालचंद से आरोपी श्री धनसिंह, सहायक पुलिस निरीक्षक थाना गेण्डोली को पुनः मोबाइल पर बात करवाई तो आरोपी श्री धनसिंह ने स्वयं का बून्दी में ही होना बताया तथा परिवादी को घर जाने व किसी और दिन बुलाने का कहा। जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट पृथक से मुर्तिब की जाकर शामिल पत्रावली की गयी। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने हमराह स्वतंत्र गवाह श्री निरंजन से परिवादी की जेब मे रखी रिश्वत राशि निकलवाकर सफेद लिफाफे मे रखकर सुरक्षित रखवायी गयी तथा डिजीटल वाईस रिकार्डर लेकर अपने पास सुरिक्षत रखा। परिवादी के कहेनुसार उसको आवश्यक हिदायत कर रूकसत किया गया। मन् पुलिस निरीक्षक मय जाप्ता मय गवाहान मय ट्रैप सामग्री के कार्यालय हाजा के लिये रवाना होकर कार्यालय हाजा पहुंचा। स्वतंत्र गवाह के पास सुरक्षित रखी रिश्वत राशि व डिजीटल वाईस रिकार्डर को सुरक्षित मालखाने मे रखवाया तथा गवाहान को आवश्यक हिदायत कर रूकसत किया। दिनांक 25.12.2021 शाम के समय मन् पुलिस निरीक्षक को परिवादी श्री लालचंद ने जर्ये मोबाईल बताया कि मेरी एएसाई धनसिह बंजारा से बात हुई वो मुझे कल दिनांक 26.12.2021 को थाना गेण्डोली पर बुला रहे है। इस पर मैं आपको कल दिनांक 26.12.2021 को समय करीब 11.00 बजे थाना गेण्डोली के आस पास मिल जांउगा। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने पूर्व के पाबन्दशुदा गवाहान को कल दिनांक 26.12.2021 समय 9.00 एएम पर ट्रैप कार्यवाही हेतु कार्यालय हाजा उपस्थित आने हेतु पाबन्द किया गया। दिनांक 26.12.2021 नियत समय पर ट्रैप कार्यवाही के पूर्व के पाबन्दशुदा गवाहा श्री निरजंन व जाकिर हुसैन तथा स्टॉफ कार्यालय हाजा उपस्थित आया। इस पर मालखाने मे रखी हुई रिश्वत राशि का लिफाफा व डिजीटल वाईस रिकार्डर गवाह श्री निरंजन से निकलवाकर परिवादी को सुपुर्द करने के लिये अपने पास सुरक्षित रखवाया गया एवं मय स्वतंत्र गवाहान श्री निरंजन, श्री जाकिर हुसैन तथा जाप्ता श्री बृजराज सिह कानि0 159, श्री मुकेश सैनी कानि0 71, श्री देवेन्द्र सिह कानि0 304, श्री नरेन्द्र सिह कानि0 305 मय ट्रैप सामग्री मय ट्रैप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर, आवश्यक सामग्री के प्राईवेट वाहन से गेण्डोली के लिये रवाना होकर कस्बा गेण्डोली के बाहर लाखेरी की तरफ परिवादी से हुई वार्तानुसार बालाजी के मंदिर के पास पहुंचा जहां पर परिवादी श्री लालचंद उपस्थित मिला जिसने आरोपी से दिनांक 25.01.2021 को दूरभाष पर हुई वार्ता के बारे में बताया। इस पर परिवादी लालचन्द की तलाशी स्वतंत्र गवाहश्री निरंजन कुमार से लिवाई गई। परिवादी लालचन्द के पास उसके पहने हुए वस्त्रों एवं

मोबाईल के अलावा अन्य कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। रिश्वत में दिये जाने वाले पाउडर लगे हुये 8,000 हजार रूपये सफेद लिफाफे में से निकलवा कर परिवादी के पहनी हुई पेन्ट की सामने की दांयी जेब में स्वतंत्र गवाह श्री निरंजन कुमार से रखवाये गये। मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री लालचंद से डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के चालु करवाकर आरोपी धनसिह बंजारा सहायक उप निरीक्षक के पास थाना गेण्डोली मे रवाना किया। मन् पुलिस निरीक्षक मय जाप्ता मय गवाहान के थाना परिसर के आस पास अपनी अपनी उपस्थिति छुपाते हुऐ परिवादी के पूर्व निर्धारित इशारे के इन्तजार में मुकिम हुये। कुछ समय बाद परिवादी श्री लालचंद मन् पुलिस निरीक्षक की तरफ बिना ईशारा किये हुऐ आया। परिवादी से डिजीटल वाईस रिकार्डर लेकर बन्द किया। उसने बताया कि आरोपी धनसिह बंजारा सहायक उप निरीक्षक थाना गेण्डोली पर नही है जिसको मैने मेरे मोबाईल नम्बर 8949298791 से उसके मोबाईल नम्बर 9950742506 पर कॉल किया तो उन्होने मेरा कॉल भी नहीं उठाया । इस पर मैने थाने के स्टॉफ से धनसिह बंजारा के बारे मे पूंछा तो उन्होनें कोई काम से थाने से बाहर जाना बताया। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय जाप्ता मय गवाहान मय परिवादी के आरोपी के वापस थाने पर आने के इंतजार मे अपनी उपस्थित छुपाते हुऐ मुकिम हुए। काफी इंतजार करने के बाद भी आरोपी का परिवादी के पास फोन नही आने पर परिवादी लालचंद से वापस आरोपी धनसिह बंजारा के मोबाईल पर कॉल करवाया तो आरोपी ने कॉल अटेण्ड नही किया इस पर पुनः एक बार ओर प्रयास किया तो दुबारा भी आरोपी ने पूरी रिंग जाने के बाद भी कॉल अटेण्ड नही किया। इस पर परिवादी ने बताया कि आज धन सिह जी कही कोई काम मे बिजी है मेरा कॉल अटेण्ड भी नही कर रहे है ओर ना हि मुझे वापस कॉल कर रहे है। मुझे लगता है आज उनसे मिलना संभव नही है ओर शाम का समय होता जा रहा है मेरे घर पर बच्चे अकेले है इसलिये मेरा घर जाना भी आवश्यक है। अतः धन सिह बंजारा सहायक उप निरीक्षक का कॉल मेरे पास आयेगा तो मै बोल दूंगा दो तीन दिन बाद दुबारा आ जाउंगा वो मान जायेगें। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक से हमराह स्वतंत्र गवाह श्री निरंजन से परिवादी की जेब मे रखी रिश्वत राशि निकलवाकर सफेद लिफाफे मे रखकर सुरक्षित रखवायी गयी तथा डिजीटल वाईस रिकार्डर लेकर अपने पास सुरिक्षत रखा। परिवादी के कहेनुसार उसको आवश्यक हिदायत कर रूकसत किया गया। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय जाप्ता मय गवाहान मय ट्रैप सामग्री के कार्यालय हाजा के लिये रवाना हो कर कार्यालय हाजा पहुंचा। स्वतंत्र गवाह के पास सुरक्षित रखी रिश्वत राशि व डिजीटल वाईस रिकार्डर को सुरक्षित मालखाने मे रखवाया तथा गवाहान को आवश्यक हिदायत कर रूकसत किया। दिनांक 04.01.2022 को शाम के समय मन् पुलिस निरीक्षक को परिवादी श्री लालचन्द ने जर्ये मोबाइल बताया कि इतने दिन एएसआई धनराज जी मेरे से बात नहीं कर रहे थे आज उनको पुनः कॉल किया तो उन्होने मुझसे कभी कॉल नहीं करने के लिए बोला है। उनको पहले से आशंका थी शायद अब उनकी बातों से लग रहा है कि उनका ट्रेप नहीं हो सकता है अतः आप आगे की कार्यवाही करने हेतु मुझे निर्देश देवें । इस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी को दिनांक 05.01.2022 को कार्यालय हाजा आने के लिए कहा । दिनांक 05.01.2022 कार्यालय समय पर परिवादी श्री लालचन्द कार्यालय हाजा उपस्थित आया। परिवादी ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कोटा के नाम एक हस्त लिखित प्रार्थना पत्र दे कर बताया कि इतने दिन एएसआई धनराज जी मेरे से बात नहीं कर रहे थे आज उनको पुनः कॉल किया तो उन्होने मुझसे कभी कॉल नहीं करने के लिए बोला है। उनको पहले से आशंका थी शायद अब उनकी बातों से लग रहा है कि उनका ट्रेप नहीं हो सकता है। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने पूर्व पाबन्द स्वतन्त्र गवाह श्री निरंजन व श्री जाकिर हुसैन को जर्ये मोबाइल कार्यालय हाजा आने हेतु निर्देश किए । इस पर पाबन्दशुदा स्वतन्त्र गवाह श्री निरंजन व श्री जाकिर हुसैन कार्यालय हाजा उपस्थित आए। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दोनो गवाहान को पढ़कर सुनाया गया तथा दोनों गवाहान ने परिवादी द्वारा रिश्वत राशि वापस लेने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को पढ़कर उस पर अपने–अपने हस्ताक्षर किये। उक्त स्वतन्त्र गवाहान् के समक्ष परिवादी श्री लालचन्द को आरोपी श्री धनराज को ट्रेप करवाने हेतु कार्यालय हाजा में जमा करवाई गई राशि 8000/– रु वापस लौटाई गई जिसकी फर्द सुपुर्दगी पृथक से मुर्तिब की जाकर शामिल पत्रावली की गयी। प्रकरण में परिवादी श्री लालचन्द व आरोपी श्री धनसिंह, सहायक पुलिस निरीक्षक थाना गेण्डोली के मध्य दिनांक 02.12.2021 को रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान हुई वार्ता, तथा दिनांक 10.12.2021 को हुई रिश्वत लेनदेन प्रयास मोबाइल वार्ता जिन्हे डिजिटल वाईस रिकॅार्डर में रिकॉर्ड किया गया है। उक्त वार्ताओं को श्री भरत सिंह कानि द्वारा डिजिटल वाईस रिकॅार्डर से लेपटॉप में लिवाया जाकर लेपटॉप के जरिए डब करवाई जाकर चार सीडी तैयार करवाई, जिनमें से एक सीडी माननीय न्यायालय हेतु, एक सी0डी0 नमूना आवाज के लिये, एक सीडी आरोपी पृथक–पृथक कपड़े की थैली में रखकर सील्डमोहर की गई। एक सीडी अनुसंधान अधिकारी हेतु खुली रखी गई । कपडे की थेलीयो पर सम्बधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। फर्द डबिंग तैयार करवाई जाकर संबन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। प्रकरण में परिवादी श्री लालचन्द, तथा स्वतन्त्र गवाह श्री जाकिर हुसैन व श्री निरंजन कुमार को आवश्यक हिदायत देकर रुखसत किया ।

अब तक की सम्पूर्ण कार्यवाही से पाया गया हैं कि परिवादी श्री लालचंद के बडे साले महेश योगी व उसकी पत्नि मौसमी बाई ने मारपीट व छेडछाड करने का मुकदमा थाना गेण्डोली मे

परिवादी के खिलाफ दर्ज करवा दिया जिसकी जांच धनसिह बंजारा ए0एस0आई0 कर रहा है। ए0एस0आई0 धनसिह बंजारा उक्त झूंठे मुकदमे में राहत देने की एवज मे परिवादी से 20000/– रूपये रिश्वत की बार बार मांग करना तथा दिनांक 02.12.2021 को गोपनीय सत्यापन के दौरान आरोपी श्री धनसिंह द्वारा पांच हजार रूपये बतौर रिश्वत प्राप्त करना तथा शेष रहे दस हजार रूपये रिश्वत मांग की पुष्टि हुई । धनसिह बंजारा सहायक उप निरीक्षक थाना गेण्डोली जिला बून्दी का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 के तहत् दण्डनीय अपराध होना पाया गया है । आरोपी श्री धनसिंह बंजारा सहायक उप निरीक्षक थाना गेण्डोली को परिवादी पर शक हो जाने के कारण रिश्वत राशि ग्रहण नहीं की गई है ।

अतः आरोपी श्री धनसिंह बंजारा सहायक उप निरीक्षक थाना गेण्डोली जिला बून्दी का उक्त कृत्य प्रथम दृष्टया धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 की परिधि में आने से बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार की जाकर वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान महानिदेशक महोदय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर की सेवा में सादर प्रेषित है।

(नरेश चौहान)
पुलिस निरीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
कोटा

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री नरेश चौहान, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018)में आरोपी श्री धनसिंह बंजारा, सहायक उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना गेण्डोली, जिला बून्दी के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 77/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

9.3.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर

कमांक 694-98 दिनांक 9.03.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक, बून्दी।
4. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा।

9.3.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर